

14/5
25

पत्रावली पेश। वकील वादी हाजिर
पत्रावली में पूर्व में भी वकील
वादी को अंतिम विदायत की गई
थी कि आगामी पेशी पर तामिल
की रसीद पेश करे, अन्यथा
आदेश 9 नियम 5 के तहत आदेश
पारित किया जाएगा लेकिन वकील
वादी ने आज दिनांक तक तामिल
की रसीद पेश नहीं की। अतः
वादी का वाद आदेश 9 नियम
5 के तहत खारिज किया जाता
है। पत्रावली फ़ैसल नुमार
दोकर नम्बर से कुम दोकर
दाखिल दफ़तर है।

कुपलण्ड अधिकारी
बीतारामगढ (सीकर)